रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 10, 2012/आश्विन 18, 1934
No. 518] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 2012/ASVINA 18, 1934

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2012

सा.का.नि. 757(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवा और पद पुनर्नियोजन) नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवा और पद पुनर्नियोजन) संशोधन नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवा और पद पुनर्नियोजन) नियम, 1979 में,—

(1) नियम 2 में, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) 'भूतपूर्व सैनिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,—

(i) जिसने भारत संघ की नियमित सशस्त्र सेना, नौ सेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में, चाहे योधक के रूप में या गैर-योधक के रूप में सेवा की है, और

(क) जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से, चाहे स्वानुरोध पर या नियोजक द्वारा कार्यमुक्त किए जाने पर, सेवानिवृत्त, अवमुक्त या सेवोन्मुक्त हो गया है या हो गई है ; या

(ख) जिसे सैनिक सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अथवा उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सैनिक सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो और जिसे चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन दी गई हो ; या

(ग) जिसे संस्थापना में कटौती हो जाने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो ;

या

(ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि पूरी करने के पश्चात् उसके स्वयं के अनुरोध के सिवाय ऐसी सेवा से सेवामुक्त किया गया है अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण सेवा से बर्खास्त अथवा

3854 GI/2012